न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–885/2016

1. मोहनलाल पुत्र भूराराम
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. भूराराम
3. सरजू देवी पुत्री स्व. भूराराम
4. कैला देवी पुत्री स्व. भूराराम
5. भंवरी देवी पत्नी स्व. भूराराम

समस्त जाति जाट, निवासी भासिंहपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

–अपीलान्टस–

बनाम

1. गोमाराम पुत्र स्व. भूराराम
2. मनोहरलाल पुत्र स्व. भूराराम

समस्त जाति जाट, निवासी भांसिहपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

3. तहसीलदार तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री मदन लाल कुडी अपीलार्थीगण की ओर से।

2– श्री प्रभुलाल डिसानिया रेस्पोडेंट सख्या 1 व 2 की ओर से।

3– श्री जी0 एल0 मीणा राजकीय अधिवक्ता।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक वाद संख्या 367/16 बउनवानी मोहनलाल बनाम गोमाराम प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष अपीलान्ट्य द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 17/3 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा, 26/2 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, 137/1 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा, 137/2 रकबा 1 बिस्वा, 139/1 रकबा 6 बिस्वा, 140/1 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा सैटलमेन्ट पर्चा संवंत 2011 में अपीलान्टस एवं रेस्पोडेंटस के दादा हीरा वल्द बोदू के नाम आधे हिस्से का आया था एवं हीरा के स्वर्गवास के पश्चात् उनके वारिसान के नाम खातेदारी में दर्ज किया गया। आराजियात की 1/3 हिस्से की खातेदारी अपीलान्टस एवं रेस्पोडेंट के पिता भूरा के नाम दर्ज की गई। अपीलान्टस के नाबालिग होने से भूराराम को बहकावे में लेकर रेस्पोडेंट संख्या 1

व 2 द्वारा नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1983 को अपने पक्ष में करा लिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 384 दिनांक 28.04.1983 स्वयं के नाम अंकन करा लिया। इस प्रकार रेस्पोडेंन्टान के नाम 1/8 हिस्से की खातेदारी का अंकन किया गया है जबकि अपीलान्टस व रेस्पोडेंन्टान का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। अतः उक्तानुसार वादग्रस्त आराजीयात का संयुक्त खातेदार घोषित किया जावे। उपरोक्त प्रस्तुत राजस्व वाद में इकबाली जवाब प्रस्तुत कर रेस्पोडेंन्टान द्वारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं राजीनामा दिनांक 17.06.2016 को प्रस्तुत कर अनुतोष के मुताबिक वाद डिक्री किये जाने हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामें के अनुसरण में पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प सांभरलेक में ली जाकर उक्तानुसार वाद पत्र डिक्री नहीं कर सशर्त वादीगण द्वारा गिफ्ट में देय स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार राशि जमा करवाये जाने पर डिक्री अमल दरामद हेतु आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 18–6–2016 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विरोधाभासी होने से प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये राजीनामा वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने के आदेश पारित किये हैं किन्तु निर्णय में अपीलान्टस द्वारा गिफ्ट में देय राशि जमा कराये जाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने बाबत् आदेश पारित किये गये हैं, जबकि न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप वाद पत्र डिक्री हो जाने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अंकन किया जाना न्यायोचित है किन्तु इसके अतिरिक्त शर्त अधिरोपित किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसरण में पत्रावली राजस्व लोक अदालत में सुनवाई हेतु नियत की गई है। उक्त अनुसरण में पत्रावली में राजीनामें के अनुसार डिक्री पारित की जानी चाहिए थी अथवा सुनवाई हेतु प्रकरण को आगामी पेशी हेतु नियत किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बाबत् स्वविवेक आक्षेपित निर्णय व डिक्री से राजस्व अभिलेख में वाद पत्र को डिक्री किये जाने के उपरान्त भी शर्त अनुसार अंकन किये जाने बाबत् निर्देश दिये जाने में त्रुटि कारित की गई है। वादग्रस्त आराजियात जो कि पक्षकारान के पूर्वज हीरा वल्द बोदू की खातेदारी की आराजियात रही है जिसमें अपीलान्टस का जन्म से ही हिस्सा निहित है एवं एकमात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 जो कि अपीलान्ट के ही परिवार के सदस्य है के नाम उपरोक्त आराजियात का अंकन होने से राजस्व वाद खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त वाद पत्र में स्वयं रेस्पोडेंट द्वारा उक्त बाबत् सहमति दिये जाने के उपरान्त वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित था जिसे आक्षेपित निर्णय से डिक्री किये जाने के उपरान्त भी राजस्व अभिलेख में सशर्त अंकन किये जाने बाबत् आदेश पारित किये जाने में त्रुटि कारित की गई है।

अपीलान्ट्स द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2016 को संशोधित फरमाया जाकर स्टाम्प ड्यूटी के अनसार राशि जमा कराये जाने बाबत् आदेश को विलोपित करते हुए राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमायें जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य हुऐ राजीनामें के अनुसार वाद डिक्री नहीं किया जाकर गिफ्ट में देय स्टाम्प डयूटी के अनुसार राशि भुगतान किये जाने के पश्चात डिक्री को अमल दरामद के आदेश दिये गये है जो कि उचित नही है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से अपीलान्ट्स वादीगण का स्वाभाविक हक व अधिकार निहित है तथा उसी अनुसार वे घोषणा करवाये जाने के अधिकारी है अतः स्टाम्प राशि भुगतान किये जाने का आदेश अवैधानिक है।अतः अपील स्वीकार की जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में अपील पर अनापत्ति जाहिर की गई। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील पर आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया अपीलाधीन आदेश उचित है तथा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है अतः अपील अस्वीकार की जावे।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसपर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।अपीलान्ट्स वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय केसमक्ष दावा बाबत घोषणा यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया गया था कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज हीरा वल्द बोदू के नाम से खातेदारी में दर्ज थी। तत्पश्चात वादीगण के पिता भूरा के हिस्से में 1/8 हिस्से की खातेदारी जरिये विरासत दर्ज की गई। वादीगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि उनके पिता भूरा राम को बहकावे में लेकर प्रतिवादीगण सख्या 01 व 02 ने उक्त भूमि का विक्रय–पत्र बिना प्रतिफल दिये ही अपने पक्ष में करवा लिया तथा 1/8 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली जो कि अनुचित है।वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में वादीगण के वाद को डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि के गिफ्ट में देय स्टाम्प डयूटी के बराबर राशि भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण सख्या 384 ग्राम ढाणी बोराज जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुआ है से स्पष्ट है कि भूरा पुत्र हीरा द्वारा अपना 1/8 हिस्सा गोमा राम व मनोहर लाल

को 6000/–रूपये में विक्रय कर दिये जाने तथा कब्जा प्राप्त कर लेने के उपरान्त उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 28–04–1983 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। वादीगण द्वारा यह वाद दिनांक 15–06–2016 को अर्थात लगभग 33 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है।इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा होने का कथन साबित नही होता है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब दावा दिये जाने से वादी का वाद सशर्त डिक्री किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त शर्त इसलिये अधिरोपित की गई है कि राजीनामा की रूह से वास्तव में भूमि वादीगण को एक प्रकार से गिफ्ट की गई है अतः गिफ्ट के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को देय स्टाम्प डयूटी का भुगतान किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में कोई वैधानिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नही होता है। उक्त आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है तथा अपील अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18–06–2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर